



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032026-270953
CG-DL-E-14032026-270953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 14, 2026/फाल्गुन 23, 1947

No. 12]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 14, 2026/PHALGUNA 23, 1947

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026

आ.अ. 12(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43), की धारा 13क क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करके, एतद्वारा यह निदेश देता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जिलों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित अधिसूचना सं. 508/प.बं./2023 दिनांक 01.09.2023, में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे।

2. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न तालिका में, कोलकाता उत्तर के समक्ष मौजूदा प्रविष्टि को निम्नलिखित प्रविष्टि से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

तालिका

जिले का नाम (1)	जिला निर्वाचन अधिकारी (2)
14-कोलकाता उत्तर	नगरपालिका आयुक्त, कोलकाता नगर निगम

[फा. सं. 508/प. बं./2023]

आदेश से,

सुजीत कुमार मिश्र, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2026

O.N. 12(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of Section 13AA of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India, in consultation with the Government of West Bengal, hereby directs that the following amendment shall be made in Notification No. 508/WB/2023 dated 01.09.2023, relating to the appointment of District Election Officers for Districts in the State of West Bengal.

2. In the table appended to the said Notification, for the existing entry against the Kolkata North, the same shall be substituted by the following entry, namely:—

TABLE

Name of District (1)	District Election Officer (2)
14-Kolkata North	Municipal Commissioner, Kolkata Municipal Corporation

[F. No. 508/WB/2023]

By Order,
SUJEET KUMAR MISHRA, Secy.